Dabur
India Ltd.

Ref: SEC/SE/2026-27
Date: April 01, 2026

To,
Corporate Relations Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400001

BSE Scrip Code: 500096

Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai - 400051

NSE Scrip Symbol: DABUR

Sub: Submission of the notice for the attention of the equity shareholders and unsecured creditors of Dabur India Limited ("Company") in respect of information relating to the meetings to be convened pursuant to the directions issued by the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench ("NCLT"), in connection with the Scheme of Amalgamation between Sesa Care Private Limited and the Company and their respective shareholders and creditors

Ref.: Intimation under Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended ("SEBI Listing Regulations") – Scheme of Amalgamation

Dear Sir/ Madam,

In continuation to our letter dated March 31, 2026 and Pursuant to Regulation 30 read with clause 12 of Para A of Part A of Schedule III of the SEBI Listing Regulations, we hereby enclose herewith the notice for attention of the equity shareholders and unsecured creditors of the Company, containing information in respect of the meetings of the equity shareholders and unsecured creditors of the Company to be convened as per the directions of the Hon'ble NCLT, to be held through video conferencing ("VC") / other audio-visual means ("OAVM"), published on April 01, 2026 in Hindi language in the Jansatta newspaper (Hindi edition)

The copy of the newspaper publication is also being made available on the website of the Company at www.dabur.com.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Dabur India Limited**

Ashok Kumar Jain

Digitally signed by Ashok Kumar Jain
DN: c=IN, o=Personal, title=2634,
pseudonym=fzxn5h6lv9a4tm20edjrgcpks8q3o7w1,
2.5.4.20=08443b3bbbcf5f80cd46cc26add8b8bdd652ffd20caa6b7340b03564e4b39dfa, postalCode=110092, st=Delhi,
serialNumber=ecb3e1fdc2a028c70333c2d10a7e968110c5d0645b352ed6dfd1bc6aad8147b3, cn=Ashok Kumar Jain
Date: 2026.04.01 15:05:00 +05'30'

(Ashok Kumar Jain)
Group Company Secretary and Chief Compliance officer

DABUR INDIA LIMITED, Punjabi Bhawan, 10, Rouse Avenue, New Delhi-110 002, Tel.: +91 11 71206000 Fax: +91 11 23222051
Regd. Office: 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002 (India)
CIN: L24230DL1975PLC007908, Email: corpcomm@dabur.com, Website: www.dabur.com

नंद नगरी में व्यक्ति की हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 मार्च।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में पारिवारिक विवाद के चलते 30 वर्षीय व्यक्ति की उसके रिश्तेदार ने चाकू मारकर हत्या कर दी। अधिकारी ने बताया कि यह घटना 29 मार्च की रात को तब सामने आई, जब पुलिस को जीटीबी अस्पताल से चाकू के वार से घायल व्यक्ति के भर्ती होने की सूचना मिली।

पीड़ित की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। उसकी पहचान ताहिरपुर निवासी नीरज के तौर पर हुई।

जिला पुलिस उपायुक्त ने मंगलवार को बताया कि पुलिस ने इस बाबत 20 वर्षीय आरोपी रमेश को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया तथा खुलासा किया कि उसने पारिवारिक विवाद को लेकर हुई कहासुनी के दौरान नीरज को चाकू मारा था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है।

इस बाबत नंद नगरी थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

द्वारका और नजफगढ़ में मुठभेड़

दो खूंखार बदमाशों को दबोचा गया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 मार्च।

दिल्ली के डाबरी मधु विहार इलाके में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या करने और कई अन्य लोगों पर हमला करने के मामले में वांछित दो लोगों को पुलिस ने मुठभेड़ों के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान रोहित कुमार उर्फ नोडी और प्रेम शर्मा उर्फ हिमांशु के रूप में हुई है। इन दोनों का पुराना आपराधिक रिकार्ड है।

जिला पुलिस उपायुक्त ने मंगलवार को बताया कि इन बदमाशों को पकड़ने की कोशिश कर रही पुलिस टीमों पर कथित तौर पर गोलियां चलाईं गई, फिर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उनके पैरों में गोलियां लगीं। पुलिस ने बताया कि ये गिरफ्तारियां रविवार रात मधु विहार में हुई चाकूबाजी की दो घटनाओं के 24 घंटे के भीतर हुई हैं। इन घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाके में करीब 15 मिनट के भीतर दो अलग-अलग घटनाएं हुई थी। द्वारका के पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने बताया कि पहली घटना रात 9.23 बजे मधु विहार में दुर्गा माता मंदिर के पास हुई, जिसमें खाना आपूर्ति करने वाले 39 वर्षीय गोविंद झा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इसके कुछ मिनट बाद इसी इलाके में नव जीवन स्कूल के पास दूसरी घटना हुई, जहां हनी, अनीस और रोहित नाम के तीन लोगों को अज्ञात हमलावरों ने चाकू मार दिया। तीनों घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिनमें से दो बयान देने की स्थिति में नहीं थे और एक को विशेष उपचार के लिए दूसरे अस्पताल भेज दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि पहली सफलता सोमवार देर रात तब मिली, जब ह्यस्पेशल स्टाफह्न की टीम ने द्वारका सेक्टर- 17 में खेल परिसर के पास रोहित कुमार को देखा। जब पुलिस टीम ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, तो उसने कथित तौर पर तीन गोलियां चलाईं। टीम ने गोलीबारी के साथ जवाबी कार्रवाई की। रोहित कुमार के घुटने में गोली लगी और थोड़ी मशक्कत के बाद उसे काबू कर लिया गया। उसके पास से एक पिस्तौल के साथ ही कारतूस और कारतूस के खाली खोखे बरामद किए गए।

> **पुलिस** उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने बताया कि पहली घटना रात 9.23 बजे मधु विहार में दुर्गा माता मंदिर के पास हुई, जिसमें खाना आपूर्ति करने वाले 39 वर्षीय गोविंद झा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इसके कुछ मिनट बाद इसी इलाके में नव जीवन स्कूल के पास दूसरी घटना हुई, जहां हनी, अनीस और रोहित नाम के तीन लोगों को अज्ञात हमलावरों ने चाकू मार दिया।

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि एक समानांतर अभियान में, दूसरी पुलिस टीम ने सोमवार रात ही नजफगढ़ के पास प्रेम शर्मा को रोका, जो एक चोरी के स्कूटर पर जा रहा था। चुनौती दिए जाने पर उसने भी पुलिस पर तीन गोलियां चलाईं। टीम ने आत्मरक्षा में नियंत्रित जवाबी कार्रवाई की और उसे घायल कर पकड़ लिया। शर्मा के घुटने के नीचे गोली लगी। उसके पास से एक पिस्तौल, कारतूस और अपराध में इस्तेमाल चोरी का वाहन बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि शर्मा, गोविंद झा की हत्या का मुख्य आरोपी है, जबकि दोनों आरोपी अन्य तीन लोगों पर हुए हमले में शामिल थे।

डीटीसी के पिंक कार्ड पर भ्रम व झूठ फैला रही आप: रेखा गुप्ता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 मार्च।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के इस दावे को झूठ और दुष्प्रचार बताते हुए खारिज कर दिया कि महिला निवासियों को मुफ्त बस यात्रा के लिए दिए जाने वाले 'सहेली पिंक कार्ड' को एक बार इस्तेमाल करने के एक घंटे बाद ही दोबारा उपयोग किया जा सकता है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नए कार्ड पूरी दक्षता के साथ काम कर रहे हैं, जिससे दिल्ली की महिलाओं और ट्रांसजेंडर निवासियों को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिल रही है। इस बाबत मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक वीडियो पोस्ट भी साझा किया है। रेखा गुप्ता ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह अफवाह फैलाई जा रही है कि अगर आप बस में एक बार अपना पिंक कार्ड 'टैप'(इस्तेमाल) करते हैं और फिर उतरकर दूसरी बस में चढ़ते हैं, तो कार्ड काम नहीं करता। यह पूरी तरह झूठ और राजनीतिक दुष्प्रचार है। अब तक एक लाख से अधिक 'पिंक नेशनल कामन मोबिलिटी' (पीएनसीएम) कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(भारत सरकार का नवरत्न उपक्रम) (A Navratna Undertaking of Govt. of India)
अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली – 110020
कॉनकॉर CONCOR

सार्वजनिक नीलामी/निविदा सूचना
ई-नीलामी के माध्यम से क्लीयर न किए गए/अदावाकृत आयातित कार्गो का निपटान करना

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, **31.12.2025** से पहले एरिया 1 और एरिया 4 के टर्मिनलों पर पड़े रद्दी वस्तुओं, खाली पड़े क्षतिग्रस्त कंटेनरों और अदावाकृत/क्लियर ना किये गए आयातित कार्गो की ई-नीलामी के माध्यम से **16.04.2026 और 30.04.2026 को "जैसा है जहां है के आधार पर"** नीलामी करेगा। **नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तों एवं कार्गो विवरणों के साथ सभी विवरण 01.04.2026 और 15.04.2026 से** www.concorindia.co.in एवं www.mstcecommerce.com **पर उपलब्ध होंगे।** सभी आयातकों जिनमें सरकारी उपक्रम/विभाग भी शामिल हैं, के कंटेनर/सामान किसी विवाद, न्यायालय/अधिकरणों/अन्यों द्वारा दिये गए स्थगन के कारण या ऐसे किसी ऐसे अन्य कारण से संबन्धित टर्मिनलों पर अदावाकृत/क्लीयर न किए गए पड़े हैं और वेबसाइट में अपलोड की गई उक्त सूची में आते हैं, वे संबन्धित कार्यकारी निदेशक, एरिया 1 और एरिया 4 कॉनकॉर और संबंधित कमीशनरी, सीमा शुल्क आयुक्त को तदनुसार सूचित कर सकते हैं और इस सूचना के **7 (सात) दिनों** के भीतर ऐसे सामानों के निपटान के संबंध में अपनी आपत्तियाँ/दावे दर्ज करा सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर और कोई सूचना दिये बगैर सामानों की **"जैसा है जहां है के आधार पर"** नीलामी कर दी जाएगी। पूर्ण विवरण के लिए कृपया www.concorindia.co.in एवं www.mstcecommerce.com पर लॉग ऑन करें।

कार्यकारी निदेशक, एरिया–I

डाबर इंडिया लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 8/3 आसफ अली रोड,
नई दिल्ली, दिल्ली - 110002, भारत
ई-मेल: investors@dabur.com | दूरभाष: 011-23253488
वेबसाइट: www.dabur.com | सीआईएन: L24230DL1975PLC007908

फॉर्म नंबर सीएए 2
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230(3) और कंपनी (समझौते, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 6 और 7 के अनुसार]
माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ के समक्ष
[सीए (सीएए) नंबर 1/(एनडी)/2026]
धारा 230 से 232 और अन्य के मामले में
कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधान
और
सेसा केयर प्राइवेट लिमिटेड और डाबर इंडिया लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच समामेलन की योजना के मामले में
के बीच

सेसा केयर प्राइवेट लिमिटेड
सीआईएन: U24247DL2018PTC452131
कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी और जिसका पंजीकृत कार्यालय तीसरी मंजिल, पंजाबी भवन, 10-राउज एवेन्यू, मिंटो रोड, नई दिल्ली -110002, भारत में है
ईमेल आईडी: compliance@sesacare.com

------- आवेदक कंपनी - 1/हस्तांतरणकर्ता कंपनी

और

डाबर इंडिया लिमिटेड,
सीआईएन: L24230DL1975PLC007908
कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 8/3 आसफ अली रोड, नई दिल्ली, दिल्ली-110002, भारत में है
ईमेल आईडी: investors@dabur.com

------- आवेदक कंपनी - 2 /हस्तांतरित कंपनी

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के नोटिस के विज्ञापन में हस्तांतरित कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों और असुरक्षित लेनदारों की बैठकें बुलाई गईं

1. यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 12 मार्च, 2026 के आदेश ("ट्रिब्यूनल आदेश") के अनुसार, जो माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ ("ट्रिब्यूनल") द्वारा पारित किया गया है, हस्तांतरित कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों एवं असुरक्षित लेनदारों की पृथक बैठकों का आयोजन किया जाना आवश्यक है, ताकि हस्तांतरणकर्ता कंपनी और हस्तांतरित कंपनी तथा उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के बीच प्रस्तावित अमलगमेशन योजना ("योजना") पर विचार किया जा सके तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो, उसमें संशोधन सहित या बिना संशोधन के, कंपनियां अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 230 से 232 एवं अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत उसे अनुमोदित किया जा सके।

2. उक्त ट्रिब्यूनल आदेश के अनुपालन में तथा अधिनियम के लागू प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी नियमों एवं परिपत्रों के अनुसार, यह भी सूचित किया जाता है कि हस्तांतरित कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों एवं असुरक्षित लेनदारों की पृथक बैठकों का आयोजन नीचे दिए गए विवरण ("बैठकें") के अनुसार किया जाएगा। संबंधित इक्विटी शेयरधारकों एवं असुरक्षित लेनदारों से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त बैठकों में उपस्थित हों।

बैठक की कक्षा	बैठक की तरीका	बैठक की तिथि	समय
इक्विटी शेयरधारक	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो-विजुअल साधन ("ओएवीएम")	शनिवार, 02 मई 2026	पूर्वाह्न11:00 बजे (भा.मा. स.)
असुरक्षित लेनदार		शनिवार, 02 मई 2026	अपराह्न 01:00 (भा.मा. स.)

3. बैठकों की सूचना, योजना सहित, कंपनी अधिनियम की धारा 230(3) सहपठित धारा 102 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण तथा कंपनी (समझौते, व्यवस्थाएँ और विलय) नियम, 2016 ("CAA नियम") और अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हों) के अंतर्गत आवश्यक अन्य संबंधित दस्तावेज, उन इक्विटी शेयरधारकों को ई-मेल के माध्यम से भेजे गए हैं जिनके नाम 20 मार्च, 2026 (शुक्रवार) तक सदस्य रजिस्टर/लाभकारी स्वामियों की सूची में, जिसे रजिस्ट्रार टू इश्यू एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी द्वारा संधारित किया जाता है, दर्ज हैं, तथा उन सभी असुरक्षित लेनदारों को भी भेजे गए हैं जिनका बकाया ऋण 30 नवंबर, 2025 (रविवार) तक लंबित है। जिन इक्विटी शेयरधारकों के ई-मेल आईडी हस्तांतरित कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें बैठक आयोजित किए जाने के संबंध में सूचना स्पीड पोस्ट/कूरियर के माध्यम से भौतिक पत्र के रूप में भेजी गई है, जिसमें एक वेबलिंक और QR कोड सम्मिलित है, जिसके माध्यम से उक्त सूचना, धारा 230(3) सहपठित धारा 102 तथा अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण एवं सभी संलग्नक प्राप्त किए जा सकते हैं। इन दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां इक्विटी शेयरधारक/असुरक्षित लेनदार द्वारा हस्तांतरित कंपनी को investors@dabur.com पर अनुरोध भेजकर निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं। सूचना के साथ संलग्नक हस्तांतरित कंपनी के प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार हैं।

4. वह व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि, यानी शनिवार, 25 अप्रैल, 2026 को सदस्यों के रजिस्टर/लाभकारी मालिकों की सूची में दर्ज है, केवल नोटिस में प्रस्तावित प्रस्ताव पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने और बैठक में भाग लेने का हकदार होगा। वह व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि पर इक्विटी शेयरधारक नहीं है, उसे केवल सूचना के उद्देश्य से नोटिस का उपयोग करना चाहिए।

5. वह व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि, यानी रविवार, 30 नवंबर, 2025 को हस्तांतरित कंपनी द्वारा अनुरक्षित असुरक्षित लेनदारों की सूची में दर्ज है, केवल नोटिस में प्रस्तावित प्रस्ताव पर अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग करने और बैठक में भाग लेने का हकदार होगा। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि पर एक असुरक्षित लेनदार नहीं है, उसे केवल सूचना के उद्देश्य के लिए नोटिस का उपयोग करना चाहिए।

6. हस्तांतरित कंपनी ने अपने इक्विटी शेयरधारकों और असुरक्षित लेनदारों को दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग") द्वारा वोट डालकर योजना के अनुमोदन के लिए संकल्प पर मतदान करने के लिए सुविधा और विकल्प प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") को नियुक्त किया है। ई-वोटिंग या वीसी/ओएवीएम आदि के माध्यम से बैठक में भाग लेने में किसी भी कठिनाई के मामले में, कृपया सुश्री पल्लवी म्हात्रे को evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर या 022-4886 7000 पर संपर्क करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क करें।

7. उपर्युक्त बैठकों की सूचना और साथ में हस्तांतरित कंपनी के दस्तावेज हस्तांतरित कंपनी की वेबसाइट www.dabur.com, एनएसडीएल www.evoting.nsdl.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर रखे जाते हैं।

8. चूंकि बैठकें वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं, इसलिए प्रॉक्सी के माध्यम से बैठकों में भाग लेने का विकल्प लागू/उपलब्ध नहीं है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि निकाय के कॉरपोरेट/संस्थागत सदस्य बोर्ड के प्रस्तावों/पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा विधिवत अधिकृत अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना वोट डालने के पात्र होंगे, जैसा भी मामला हो।

9. हस्तांतरित कंपनी के इक्विटी शेयरधारक और असुरक्षित लेनदार निम्नलिखित अवधि के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं:

इक्विटी शेयरधारक और हस्तांतरित कंपनी के असुरक्षित लेनदार	
रिमोट ई.वोटिंग की शुरुआत	मंगलवार, 28 अप्रैल 2026, सुबह 09:00 बजे (भा.मा. स.)
रिमोट ई.वोटिंग की समाप्ति	शुक्रवार, 01 मई 2026, शाम 05:00 बजे (भा.मा. स.)

या (बी) शनिवार, 02 मई, 2026 को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित होने वाली बैठक में उपलब्ध एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से, संबंधित बैठक के प्रारंभ होने के समय से लेकर बैठक के समापन के 30 मिनट बाद तक ("बैठक में ई-मतदान")।

10. इसके तुरंत बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा अक्षम कर दिया जायेगा। बैठक में भाग लेने वाली हस्तांतरित कंपनी के इक्विटी शेयरधारक और असुरक्षित लेनदार, जिन्होंने पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे बैठक में अपना वोट डाल सकेंगे। इसके अलावा, बैठक में भाग लेने और ई-वोटिंग के लिए निर्देश बैठक की सूचना में दिए गए हैं। हस्तांतरित कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों और असुरक्षित लेनदारों से अनुरोध है कि वे नोटिस में निर्धारित सभी नोटों को ध्यान से पढ़ें।

11. ट्रिब्यूनल ने डॉ. शशांक सक्सेना को उक्त बैठकों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, जिसमें किसी भी स्थगन या स्थगन के लिए और श्री प्रतीश सिन्हा, (अधिवक्ता) को बैठकों के लिए संवीक्षाकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।

12. उपर्युक्त योजना, यदि बैठक में अनुमोदित हो जाती है, तो यह ट्रिब्यूनल के बाद के अनुमोदन और नियामक या अन्य प्राधिकरणों की ऐसी अनुमोदन, अनुमतियों और आवश्यक मंजूरियों के अधीन होगी।

13. हस्तांतरित कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों और असुरक्षित लेनदारों से अनुरोध है कि वे योजना के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या बैठक में विचार किए जाने वाले प्रस्तावित मामले के संबंध में कोई भी जानकारी चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे investors@dabur.com पर ईमेल के माध्यम से बैठक की तारीख से कम से कम 7 (सात) दिन पहले हस्तांतरित कंपनी को लिखें।

हस्ता.
दिनांक: मार्च 30, 2026 — **डॉ. शशांक सक्सेना**
स्थान: जम्मू — **बैठक के लिए ट्रिब्यूनल द्वारा नियुक्त अध्यक्ष**